न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 72/2018/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. प्रहलाद पि. शंकरलाल जाति मेघवाल नि. रोशनबाडी तहसील रायपुर
2. रमेश पि. शंकरलाल जाति मेघवाल नि. रोशनबाडी तहसील रायपुर
3. घीसालाल पि. शंकरलाल जाति मेघवाल नि. रोशनबाडी तहसील रायपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मेहमूद शेरखां पि. हाजी शेरखां जाति मुसलमान नि. टोंक राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – वकील प्रार्थीगण – श्री पूरीलाल राठौड

आदेश दिनांक : 24/01/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि ग्राम रोशनबाडी के नामा.सं. 70 में गत कृषक का अंकन कालम सं. 5 में हाजी खां पि. शेरखां मुसलमान का नाम दर्ज है एवं नवीन कालम सं. 11 में प्रार्थी सं. 1 व 2 के दादा व प्रार्थी सं. 3 के पिता का नाम मांग्या वल्द नन्दा मेघवाल दर्ज है। कालम सं. 16 में ख.नं. 27 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा आराजी के संबंध में तत्कालीन राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट के अनुसार मांग्या वल्द नन्दा का कब्जा काश्त उक्त आराजी पर सं. 2012 से पूर्व जेली काश्तकार के रूप में चले आ रहे है किन्तु तहसीलदार पिडावा ने पटवारी कानूनगो की रिपोर्ट के आधार पर सं. 2011 में खसरा टीप में खाना खाली होने के आधार पर उक्त नामान्तकरण को खारीज कर दिया।

जमाबंदी सं. 2013–16 के खाता सं. 103 में काश्तकार के नाम से ख.नं. 27 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा अंकित है तथा सं. 2019–22 के खाते में जेली काश्तकार के रूप में प्रार्थीगण के पिता का नाम उक्त आराजी में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में प्रार्थीगण का एवं इससे पूर्व उनके दादा/पिता का कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:04:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़
COURT 2023

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

काश्त राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व से ही चला आ रहा है जो कि सबके ज्ञान में है। प्रतिवादी सं. 1 का उक्त वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नहीं है उसने कभी वादग्रस्त आराजी पर काश्त नहीं की है। प्रतिवादी सं. 1 अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी को बेचान करने पर उतारू है। ग्राम रोशनबाडी की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 197 की आराजी किता 12 रकबा 56 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है जिसे वह बेचान करने पर उतारू है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अपरिमित क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण की है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण होने तक ग्राम रोशनबाडी की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 197 की आराजी किता 12 रकबा 56 बीघा भूमि को अंतरण नहीं करें एवं प्रार्थीगण के कब्ज काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम रोशनबाडी का नामा.सं. 70 , जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 197 नकल , जमाबंदी सं. 2013–16 की नकल , जमाबंदी सं. 2019–22 की नकल , मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रस्तुत की।

अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया परन्तु सम्मन पर Reffuse का अंकन होकर वापिस प्राप्त हुये जिससे अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में ली गई।

वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकील वादी द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम रोशनबाडी की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 197 की आराजी किता 12 रकबा 56 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सं. 2013–16 के खाता सं. 126 की नकल अनुसार खातेदार हाजी हामीद शेरखां के खाते में ख.नं. 27 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा में मांग्या पि. नन्दा मेघवाल के नाम का अंकन है एवं जमाबंदी सं. 2019–22 के खाता सं. 126 की नकल अनुसार खातेदार हाजी हामीद शेरखां के खाते में ख.नं. 27 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा में जेली मांग्या पि. [illegible]घवाल के नाम का अंकन है। खातेदारी टाईटल का विनिश्चय [illegible] साक्ष्य , बयान एवं बहस सुनकर गुण अवगुण [illegible]।

COURT 2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:04:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रतीत होता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने की स्थिति में अपूरनीय क्षति की संभावना प्रार्थीगण को है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम रोशनबाडी की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 197 की आराजी किता 12 रकबा 56 बीघा भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:04:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner